न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

निर्वाचन अपील संख्या –48/2020

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
लीला पत्नि शंकरराम जाति बेलदार निवासी ग्राम पंचायत सींगड, वार्ड नं. 01 ग्राम गोगानाडा, तहसील व जिला नागौर, राज0		निर्वाचक व रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा।

निर्णय **दिनांक :** 17/02/2020

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 21 राजस्थान पंचायत राज(निर्वाचन) नियम 1994 के अन्तर्गत पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्ट को सम्मन मय अपील की प्रति भिजवाते हुऐ टिप्पणी तथा संबंधित रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट व उसके परिवारजन तथा पूर्वज ग्राम पंचायत सींगड के **वार्ड नम्बर 1** ग्राम **गोगानाडा** के मूल निवासी है, जहां उनका स्थाई निवास स्थान है। गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर अपीलान्ट अन्यत्र मजदूरी करने के लिए आता जाता रहे है मगर गांव में अपने परिवारजनों की देखभाल करने के लिए उनके साथ ही रहती है।

ग्राम पचांयत सींगड की मतदाता सूची, विधान सभा व लोक सभा की मतदाता सूची में अपीलान्ट का नाम मतदाता के रूप में वर्षो से आज तक रहता आया है तथा ग्राम पंचायत सींगड के निवासी होने के कारण राशनकार्ड, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र आदि भी बने हुये है। अपीलान्ट ग्राम **गोगानाडा, ग्राम पंचायत सींगड पंचायत समिति नागौर** के निवासी है व यही पर अपना मतदान करता रहा है इसके बावजूद हाल ही में रेस्पोडेन्ट निर्वाचक व रजि. पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) नागौर ने अपीलांट व इसके परिवारजनों व दीगर निवासियों के नाम यहां की मतदाता सूची से अलग अलग आदेश पारित करके नाम हटा दिये गये है व इसी क्रम में हस्तगत आदेश के जरिये अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से हटा दिये जाने की जानकारी अपीलांट को हाल ही में दिनांक 09.01.2020 को होने व प्रमाणित प्रति आदेश की दिनांक 10.01.2020 को प्राप्त करने पर हुई।

रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का नाम ग्राम पंचायत सींगड के ग्राम गोगानाडा के **वार्ड नम्बर 1** की मतदाता सूची के रूप में **कम संख्या 276 से** हटाने के पूर्व उनके निवास स्थान के संबंध में कोई जॉच नहीं की न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया।

रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का नाम मतदाता सूची से हटाने के पूर्व राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 14(i) व नियम 20 की पालना में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और केवल मात्र ग्राम पंचायत सींगड के सरपंच पद के उम्मीदवार विशेष की मदद करने के लिए बिना किसी उचित कारण व ऐतराज के अपीलान्ट का नाम ग्राम पंचायत सींगड के ग्राम गोगानाडा के वार्ड **संख्या 1 की** मतदाता सूची से हटाने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो स्पष्ट रूप से नियमों के विरूद्ध होने से शून्य व अवैध है।

कलक्टर, नागौर

अपीलांट का नाम हटाने के कथित आदेश की जानकारी होते दिनांक 09.01.2020 को नकल का आवेदन पेश करने पर दिनांक 10.01.2020 को प्रमाणित प्रति आदेश की प्राप्ति होने व तत्पश्चात् दिनांक 11.01.2020 को शनिवार व दिनांक 12.01.2020 को रविवार का अवकाश होने से आज दिनांक 13.01.2020 को जानकारी से अन्दर मियाद पेश करने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्वाचक व रजि. पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) नागौर द्वारा मतदाता सूची से अपीलांट का नाम हटाने का आदेश अपास्त करने तथा अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत सींगड के ग्राम गोगानाडा के वार्ड संख्या 1 की मतदाता सूची में पूर्वानुसार जोडे जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.ओ.), नागौर की पैरावाईज टिप्पणी दिनांक 15.01.2020 के अनुसार अपीलांट का नाम हटाने से पूर्व बूथ लेवल अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के निवास की जांच की व पाया कि इस वार्ड में अपीलांट का भूमि, निवास व घर नहीं है। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 20(घ) के तहत् नोटिस जारी कर अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। अपीलांट का नोटिस बाद अदम तामिल प्राप्त हुआ। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट वहां निवास नहीं करता है। उक्त तथ्यों की ताईद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.ओ.), नागौर द्वारा प्रस्तुत प्ररूप– 2 व अपीलांट को दिये गये नोटिस दिनांक 16.12.2019 से होती है। उक्त संबंध में अपील की प्रति तहसीलदार खींवसर व तहसीलदार मूण्डवा को प्रेषित कर अपील के संबंध में जांच कर जांच रिपोर्ट चाही गई। जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार मूण्डवा/खींवसर द्वारा प्रेषित संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत दिनांक 27.01.2020 के अनुसार मौके पर अपीलांट का निवास हेतु कच्चा–पक्का मकान, झोपडा नहीं मिला। उपस्थित मौतबिरान द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलांट ग्राम बासनी में ही रहते है तथा वहीं पर काम धंधा करते है। मौतबिरान व पटवारी हल्का व बी.एल.ओ. ने भी अपीलांट का गोगानाडा में नहीं रहने के कथन का समर्थन किया है। अपीलांट का ग्राम बासनी में निवास हेतु मकान भी बना हुआ है तथा भौतिक रूप से भी उसका परिवार ग्राम बासनी मे निवास कर रहे है ग्राम गोगानाडा ग्राम पंचायत सींगड में अपीलांट का मूल रूप से निवास हेतु कच्चा–पक्का मकान भी वर्तमान में मौजूद नहीं है ना ही निवास कर रहे है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.ओ.), नागौर द्वारा दिनांक 16.12.2019 को नोटिस जारी किया गया जिस पर तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट अनुसार आसामी यहां पर नहीं रहता है कि रिपोर्ट है। तहसीलदार खींवसर व तहसीलदार मूण्डवा की संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांट ग्राम गोगानाडा में निवास नहीं करते है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.ओ.), नागौर द्वारा अपीलान्ट का नाम हटाये जाने का आदेश उचित होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है। प्रार्थी ने ग्राम बासनी की मतदाता सूची में अपना नाम नहीं होना बताया है। अतः प्रार्थी अपना नाम वास्तविक निवास स्थान पर जुडवाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष विधिवत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.ओ.), नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर नागौर
कलेक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 13:22:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: